अध्याय–12

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

वैधानिक उपबंध

किसी द्विवार्षिक चुनाव या उप–चुनाव में चुने गए या राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य के लिए अपेक्षित है कि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा जो इस प्रयोजन के लिए संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है:[1]

> ''मैं, अमुक, जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा[2] तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

अनुच्छेद 99 के उपबंध का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति ने तारीख 11 मई, 1952 को निम्नलिखित आदेश जारी किया:

> ''मैं, राजेन्द्र प्रसाद, भारत का राष्ट्रपति, एतद्द्वारा डा॰ एस॰ राधाकृष्णन् और श्री एस॰ वी॰ कृष्णमूर्ति राव को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी एक के समक्ष राज्य सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।''[3]

भारत के राष्ट्रपति ने उक्त आदेश का अधिक्रमण करते हुए 21 अप्रैल, 1956 को एक और आदेश किया जो इस प्रकार था:

> ''मैं, राजेन्द्र प्रसाद, भारत का राष्ट्रपति, एतद्द्वारा—
>
> (i) सभापति को,
>
> (ii) उपसभापति को,
>
> (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 91 के खंड (2) के अधीन राज्य सभा में पीठासीन होने के लिए सक्षम व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन राज्य सभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे या उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।''

1956 का आदेश जो आज भी लागू है, सभा की बैठक आरंभ होने पर सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पूर्व राज्य सभा के सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया।[4]

> जब 6 अगस्त, 1962 को एक सदस्य शपथ लेने वाला था तब एक औचित्य प्रश्न उठाया गया कि अनुच्छेद 99 के अनुसार शपथ दिलाने के लिए प्रत्येक सदस्य के मामले में अर्थात् प्रत्येक ऐसे अवसर पर जब कोई नया सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए आता है, राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा

जिसके समक्ष सदस्य शपथ ले सके या प्रतिज्ञान कर सके और सभापति को सभा को सूचित करना पड़ेगा कि उसे राष्ट्रपति से यह नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है। सभापति ने औचित्य प्रश्न को अमान्य ठहराया और निर्णय दिया कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह पूर्णत: नियमानुसार है और राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा नियुक्ति कर दी है।[5]

यदि कोई सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना और उस पर हस्ताक्षर किए बिना सदन में उपस्थित रहता है या मतदान करता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार उपस्थित रहता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये की शास्ति (जुर्माने) का भागी होता है जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाती है।[6]

शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के पूर्व किसी सदस्य के अधिकार आदि

राज्य सभा के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किसी सदस्य को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संबंधित उपबंधों[7] के अधीन अपनी पदावधि के आरंभ होने पर ही सभा में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और अपना स्थान ग्रहण करने का अधिकार है। जब तक वह शपथ नहीं लेता या प्रतिज्ञान नहीं करता और उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक उसे सभा में बैठने, कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का अधिकार नहीं होता। किन्तु अपनी पदावधि के आरंभ होने पर शपथ न लेने और प्रतिज्ञान न करने और उस पर हस्ताक्षर न करने पर भी उसे सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त करने का हक होता है[8] और उसे उपसभाध्यक्षों की तालिका (पैनल) के लिए नामनिर्देशित किया जा सकता है यद्यपि वह शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही इस रूप में कार्य कर सकता है।

सभापति ने उपसभाध्यक्षों की पहली तालिका के गठन के लिए तीन सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में आचार्य नरेन्द्र देव को नामनिर्देशित किया था जिन्होंने शपथ नहीं ली थी या प्रतिज्ञान नहीं किया था। सभापति को आचार्य नरेन्द्र देव से एक समुद्री तार प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उपसभाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सम्मति दी थी।[9] किन्तु उन्हें 14 जुलाई, 1952 को शपथ दिलाई गई।[10]

राष्ट्रपति ने 11 मई, 1952 के अपने आदेश के द्वारा, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, श्री एस॰ वी॰ कृष्णा मूर्ति राव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था जिनके समक्ष सदस्य शपथ ले सकते थे या प्रतिज्ञान कर सकते थे। किन्तु श्री राव ने 13 मई, 1952 को शपथ ली।

सदस्य शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान किए बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण में उपस्थित हो सकते हैं।[11]

कोई ऐसा सदस्य जिसने सदन में स्थान ग्रहण नहीं किया है, किसी प्रश्न या संकल्प की सूचना दे सकता है और उसे कार्यावलि में शामिल किया जा सकता है किंतु जब तक वह शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह न तो प्रश्न पूछ सकता है और न संकल्प ही पेश कर सकता है।

एक सदस्य ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी। जब वह स्वीकृत हुई तब वह सदन की सदस्यता से निवृत्त हो चुके थे। जिस दिन सदस्य को शपथ दिलाई गई उस दिन की कार्यावलि में शामिल ध्यानाकर्षण की गृहीत मद में से उनका नाम हटा दिया गया। सदस्य द्वारा उठाए गए औचित्य प्रश्न पर सभापति ने निर्णय दिया कि संबंधित सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर सूचना (नोटिस) व्यपगत हो गई। जिस समय कार्यावलि के अनुसार कार्यवाही शुरू हुई उस समय उसकी कोई सूचना नहीं थी।[12]

किसी ऐसे सदस्य को, जिसने सदन में स्थान ग्रहण नहीं किया है, सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है ताकि उसका स्थान रिक्त घोषित न किया जा सके। कोई सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने के पूर्व सभापति को पत्र लिखकर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है।

नामनिर्देशित सदस्य डा॰ ज़ाकिर हुसेन और श्री आर॰ के॰ करंजिया तथा निर्वाचित सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री सुंदर सिंह भंडारी को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी यद्यपि उन्होंने शपथ नहीं ली थी या प्रतिज्ञान नहीं किया था।[13]

महाराष्ट्र से एक सदस्य श्री एम॰ सी॰ छागला ने शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के पहले ही 17 अप्रैल, 1962 को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था उनकी पदावधि 3 अप्रैल, 1962 से आरंभ हुई थी।[14]

मणिपुर से एक सदस्य श्री बी॰डी॰ बेहरिंग ने 10 अप्रैल, 1990 को, जब उनकी पदावधि आरंभ ही हुई थी, शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के पहले ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।[15]

कर्नाटक से चुनकर आई एक सदस्या श्रीमती लीलादेवी रेणुका प्रसाद ने शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान किए बिना 22 अप्रैल, 1996 को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अप्रैल, 1996 से आरंभ हुआ था।

शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की समय-सीमा

किसी सदस्य के सभा के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित होने के बाद उसका पहला कार्य सभा में शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना होता है। संविधान या नियमों में इसके लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है। शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पूर्व सभा में स्थान ग्रहण करने और मतदान करने के लिए सदस्य जिस शास्ति का भागी होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 104 में किया गया है। अत: सदस्यों से आशा की जाती है कि वे अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के पश्चात् सुविधानुसार यथाशीघ्र शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री सुंदर सिंह भंडारी 1976 के द्विवार्षिक चुनाव में निर्वाचित हुए थे। उनकी पदावधि 3 अप्रैल, 1976 को आरंभ हुई। उन्होंने 28 फरवरी, 1977 को अर्थात् सदस्य बनने के लगभग 11 महीने बाद शपथ ली। उनके द्वारा उस दिन शपथ लिए जाने के बाद एक सदस्य ने जानना चाहा कि उन्होंने इतने लंबे अर्से के बाद शपथ क्यों ली। इस पर उपसभापति ने कोई टिप्पणी नहीं की।[16] तथापि यह एकमात्र ऐसा मामला था जब किसी सदस्य की पदावधि के आरंभ होने और उसके द्वारा सभा में अपना स्थान ग्रहण करने के बीच इतना बड़ा अंतराल रहा।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि मध्य-भारत उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अधिकार-पृच्छा के लिए आवेदन इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि किसी सदस्य ने शपथ नहीं ली है और इसलिए उसे सदस्य रहने का हक नहीं है।[17]

शपथ/प्रतिज्ञान के लिए प्रक्रिया

(क) *शपथ/प्रतिज्ञान का समय*

संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसरण में जिस सदस्य ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वह सभा की बैठक के आरंभ में या बैठक के किसी ऐसे समय में, जैसाकि सभापति निदेश दें,[18] ऐसा कर सकता है। सदन की किसी बैठक की कार्यावलि की पहली मद उन सदस्यों द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना होता है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब यह सूचना मिलती है कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए किसी निर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्य को शपथ लेनी है या प्रतिज्ञान

करना है और उस पर हस्ताक्षर करने हैं तब कार्यावलि में इस आशय की एक प्रविष्टि की जाती है। यह प्रथा 26 अगस्त, 1991 से आरंभ हुई है। इसके पहले कार्यावलि में शपथ या प्रतिज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत एक सामान्य प्रविष्टि होती थी जो इस प्रकार है: ''जिन सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है वे विहित रूप में ऐसा करेंगे।'' तथापि, जब प्रत्येक दो वर्ष बाद निर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों को बड़ी संख्या में शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है तब कार्यावलि में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया जाता बल्कि उसमें उपर्युक्त रूप में एक सामान्य मद ही शामिल की जाती है। यहां तक कि शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की मद के कार्यावलि में शामिल न होने पर भी यदि यह सूचना मिलती है कि कोई सदस्य शपथ लेना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है।[19] सामान्य रूप से सदन की नियमित बैठक के दौरान शपथ ली जाती है या प्रतिज्ञान किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं। परंतु 13 मई, 1952 और, 17 अप्रैल, 1962 को नव-निर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने या प्रतिज्ञान किए जाने के लिए अलग बैठकें हुई थीं।

13 मई, 1952 को सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद सभापति ने घोषणा की:

> ''...नाम पुकारने का पहला दौर समाप्त हो गया है और वे सदस्य, जो उनके नामों के पुकारे जाने के समय आगे नहीं आए, वे कृपया मध्याह्न पश्चात् 3 बजे एकत्र होकर शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।'' तद्नुसार तीन सदस्यों को शपथ दिलाई गई।[20]

> 3 अप्रैल, 1972 को सभापति ने घोषणा की, ''चूंकि (सत्र की) सूचना के बाद समय बहुत कम था, इसलिए जो सदस्य बाद में आएंगे वे सभा के स्थगित होने से पूर्व शपथ ले सकते हैं'' और तद्नुसार, मध्याह्न-भोजन के बाद के समय में कार्य की दो मदों के बीच में दो सदस्यों को शपथ दिलाई गई।[21]

> 4 अप्रैल, 1977 और 11 अप्रैल, 1972 को भी ऐसी ही घोषणाएं की गई थीं और सभा में दो-दो सदस्यों को शपथ दिलाई गई। दो सदस्यों को 4 अप्रैल, 1972 को सभा की कार्यवाही के दौरान तथा दो सदस्यों को 11 अप्रैल, 1972 को सभा की बैठक के स्थगित होने से पूर्व शपथ दिलाई गई थी।[22]

सदस्यों को बैठक के आरंभ होने के बाद भिन्न-भिन्न समयों पर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने या उस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है जो इस प्रकार है: सत्र के अन्तिम दिन के अन्तिम भाग में;[23] मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बाद;[24] प्रश्नों का समय समाप्त होने के तुरंत बाद और ध्यानाकर्षण आरंभ होने के पहले;[25] मध्याह्न-भोजन के अवकाश के लिए सभा के स्थगित होने के पूर्व[26] या उसके बाद समवेत होने पर,[27] मध्याह्न पश्चात् लगभग 4 बजे;[28] दोपहर के बाद (सभा के नेता श्री एम॰ एस॰ गुरुपदस्वामी को मध्याह्न 12 बजे के बाद शपथ दिलाई गई थी);[29] 169वें सत्र के अंतिम दिन मध्याह्न पश्चात् 6 बजकर 14 मिनट पर पांच नव-नामनिर्देशित सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। ये सदस्य इस दिन के आरंभिक भाग में नामनिर्देशित किए गए थे।[30]

(ख) *सदस्यों को पुकारे जाने का क्रम*

द्विवार्षिक चुनाव में निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए महासचिव द्वारा राज्य-वार बुलाया जाता है और प्रत्येक राज्य के सदस्यों के नाम अकारादि क्रम से बुलाए जाते हैं।

> एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाकर यह सुझाव दिया कि सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं बल्कि देवनागरी के वर्णों के अकारादि क्रम के अनुसार बुलाया जाना चाहिए। सभापति ने औचित्य के इस प्रश्न को अमान्य ठहराया।[31]

यदि शपथ लेने वाले या प्रतिज्ञान करने वाले किसी सदस्य को सभा का नेता या विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया हो तो उसे सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान के लिए बुलाया जाता है।

सभा के नेता श्री एन॰ गोपालास्वामी अय्यंगर को शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के लिए सबसे पहले बुलाया गया और श्री एस॰ वी॰ कृष्णमूर्ति राव को, जिन्हें अनुच्छेद 99 के अधीन ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था जिसके समक्ष भी अन्य सदस्य शपथ ले सकते थे और प्रतिज्ञान कर सकते थे, श्री अय्यंगर के तत्काल बाद बुलाया गया।[32]

काउंसिल के नेता श्री सी॰ सी॰ बिस्वास को शपथ लेने के लिए सबसे पहले बुलाया गया।[33]

1968 और 1981 में हुए द्विवार्षिक चुनावों में क्रमश: श्री जयसुखलाल हाथी[34] और श्री प्रणब मुखर्जी के सभा के नेता निर्वाचित होने पर, उन्हें शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के लिए सबसे पहले बुलाया गया। 1981 में सदस्यों द्वारा शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने के बाद सभापति ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री ने श्री प्रणब मुखर्जी को सभा का नेता नियुक्त किया है।[35]

24 मई, 1996 को सभापति ने सभा के नेता के रूप में श्री सिकंदर बख्त की नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्होंने श्री एस॰ बी॰ चव्हाण को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है। तत्पश्चात् उन्होंने श्री सिकंदर बख्त को शपथ लेने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया। उनके बाद श्री एस॰बी॰ चव्हाण को ऐसा करने के लिए कहा गया। उनके बाद उस दिन बाकी सदस्यों ने शपथ ली और उस पर हस्ताक्षर किए।

23 मार्च, 2001 को सभापति ने यह घोषणा की कि उन्होंने, डा॰ मनमोहन सिंह को राज्य सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है और तद्नुसार उनको सर्वप्रथम शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया उसके बाद उस दिन अन्य सदस्यों ने शपथ ली या प्रतिज्ञान कर उस पर हस्ताक्षर किए।

जो सदस्य पहले दौर में शपथ लेने के लिए उपस्थित नहीं रहते उन्हें सभा द्वारा अगले कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व पुन: बुलाया जाता है। यदि वे पहले दिन शपथ नहीं लेते या प्रतिज्ञान नहीं करते तो वे अगले दिन या उससे किसी अगले दिन, जब सभा की बैठक हो रही हो, ऐसा कर सकते हैं।

(ग) शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने का प्ररूप और भाषा

किसी सदस्य को विहित प्ररूप में शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है और उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं[36] जो सुविधा के लिए उसे पहले ही दे दिया जाता है या पटल पर रख दिया जाता है। कोई सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में शपथ ले सकता है या प्रतिज्ञान कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए विधि मंत्रालय (राज भाषा स्कंध) द्वारा अनुमोदित शपथ या प्रतिज्ञान के अनूदित पाठ का अनुसरण किया जाता है।

एक औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि कुछ सदस्यों द्वारा उर्दू में ली गई शपथ में 'इंडिया' (भारत) के लिए ''हिन्द'' शब्द का प्रयोग असंवैधानिक है। सभापति ने औचित्य प्रश्न को अमान्य ठहराया।[37]

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे जिस भाषा में शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना चाहते हैं उसके बारे में वे पहले से ही सूचना दे दें ताकि शपथ या प्रतिज्ञान का उपयुक्त प्ररूप उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

यदि कोई सदस्य विहित शपथ या प्रतिज्ञान को पढ़ते समय उसमें कुछ शब्दों को छोड़ देता है किन्तु इस कारण से उसके सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो शपथ या प्रतिज्ञान को पढ़ा हुआ माना जाता है।

एक सदस्य प्रतिज्ञान करना चाहते थे किन्तु उन्होंने शपथ के प्ररूप का प्रयोग किया और उन्होंने प्रतिज्ञान करते समय प्ररूप में ईश्वर के उल्लेख को छोड़ दिया। एक दूसरे सदस्य ने आपत्ति की कि शपथ पूरी नहीं है। सभापति ने निर्णय दिया कि उसे पढ़ा हुआ माना जाना चाहिए।[38]

किसी सदस्य को यह अनुमति नहीं है कि वह विहित प्ररूप में शपथ लेते समय या प्रतिज्ञान करते समय प्ररूप में कुछ शब्द जोड़ दे या उसके अलावा और कुछ कह दे और यदि वह ऐसा करता है तो वह कार्यवाही के अभिलेख का भाग नहीं रहता।

जब एक सदस्य ने शपथ में कुछ और शब्द जोड़ दिए तब कुछ सदस्यों ने आपत्ति की कि सदस्य ने शपथ लेते हुए उसमें कुछ शब्दों को जोड़कर उसके अर्थ को बदल दिया है जिसके कारण उन्हें फिर से शपथ लेनी चाहिए। इस पर सभापति ने निर्णय दिया:

''सदस्य ने विहित प्ररूप के अनुसार शपथ ली है। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही के अभिलेख में शामिल नहीं किया जाएगा।''

अत: सदस्य के कथन को अभिलिखित नहीं किया गया। एक और सदस्य ने भी जब शपथ के समय कुछ और भी कहा तो उनके कथन को भी अभिलिखित नहीं किया गया।[39]

किन्तु एक बार एक सदस्य ने शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने से पहले कुछ टिप्पणियां की थीं जो वयस्क मताधिकार पर आधारित मतदान के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत न किए जाने के बारे में थीं। इन टिप्पणियों को अभिलिखित किया गया था।[40]

(घ) शपथ लेने/प्रतिज्ञान करने की विधि

महासचिव द्वारा किसी सदस्य का नाम पुकारे जाने के बाद, वह अपनी जगह से महासचिव की मेज की दाहिनी ओर जाता है। इसके बाद सदस्य को शपथ या प्रतिज्ञान, जैसी भी स्थिति हो, के प्ररूप की एक प्रति दी जाती है। यह प्ररूप उस भाषा में होता है जिसमें सदस्य शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना चाहता है। सदस्य सभापति के सामने खड़ा होकर शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उसके बाद सभापति के मंच पर चढ़ता है, उनसे हाथ मिलाता है या उनका अभिवादन करता है और उसके बाद सभापीठ के पीछे से गुजरते हुए मंच से उतरकर महासचिव की मेज की दूसरी ओर जाता है जहां वह 'सदस्यों की नामावलि' पर हस्ताक्षर करता है।[41] सदस्यों को एक संसदीय समाचार द्वारा भी इस प्रक्रिया की सूचना दी जाती है।[42] 13 मई, 1952 को जब राज्य सभा की पहली बैठक हुई थी तब सभापति ने सभा में इस प्रक्रिया को समझाया था।[43] 'नामावलि' पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्य सभा में अपना स्थान ग्रहण करता है।[44] इससे उसे सर्वप्रथम अवसर पर सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि उसने किसी प्रश्न की सूचना दी है और उसे उस सदस्य द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले स्वीकृत कर लिया जाता है तो सदस्य को प्रश्नों के समय के दौरान प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछने आदि का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

यदि कोई सदस्य सदन में सभापति के आसन के सामने के स्थान पर खड़े होकर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने में शारीरिक रूप से असमर्थ है तो सभापति ऐसे सदस्य को अपने स्थान पर बैठकर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की अनुमति दे सकते हैं । ऐसी स्थिति में सदस्य द्वारा शपथ लिए जाने या प्रतिज्ञान किए जाने के बाद, पटल अधिकारी सदस्य के हस्ताक्षर के लिए 'सदस्यों की नामावलि' लेकर उसके पास जाता है।

श्री त्रिदिब चौधरी ने, जो सभा पटल के निकट जाने में शारीरिक रूप से असमर्थ थे, 24 अगस्त, 1993 को सामने की एक बेंच पर बैठकर प्रतिज्ञान किया और एक पटल अधिकारी उनके पास उनके हस्ताक्षर के लिए 'सदस्यों की नामावलि' लेकर गया।[45]

सभापति के कक्ष में शपथ/प्रतिज्ञान

जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, शपथ या प्रतिज्ञान और उस पर हस्ताक्षर सभा की नियमित बैठक में होते हैं। तथापि, 1994 में इससे भिन्न प्रथा का अनुसरण किया गया। राज्य सभा का 170वां सत्र

18 मार्च, 1994 को स्थगित हुआ और उसे 18 अप्रैल, 1994 को पुन: समवेत होना था। सत्र के मध्यावकाश के दौरान विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की बैठकें हो रही थीं। उसी वर्ष फरवरी-मार्च में राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। इसमें निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 3 अप्रैल, 1994 को आरंभ होनी थी। जब तक ये सदस्य शपथ नहीं लेते या प्रतिज्ञान नहीं करते और उस पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वे इन समितियों की बैठकों में भाग नहीं ले सकते थे जिनके लिए उन्हें नामनिर्देशित किया जा सकता था। अत: यह प्रस्ताव रखा गया कि राज्य सभा के नवनिर्वाचित सदस्य सभापति के कक्ष में शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं ताकि उसके बाद वे विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की बैठकों में भाग ले सकें।

यह प्रस्ताव राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि नवनिर्वाचित सदस्य 4 अप्रैल, 1994 को सभापति के समक्ष उनके कक्ष में शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सदस्यों को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार 4 अप्रैल, 1994 को सभापति के कक्ष में या 18 अप्रैल, 1994 को आरंभ होने वाली राज्य सभा की नियमित बैठक में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने का विकल्प दिया गया था।[46]

तद्नुसार संबंधित सदस्यों को और सदस्यों के भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं को इस संबंध में आवश्यक सूचना भेजी गई।[47] इस प्रयोजन के लिए एक संसदीय समाचार भी जारी किया गया।[48] तद्नुसार, 57 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 46 सदस्यों ने सभापति के कक्ष में सभापति के समक्ष शपथ ली या प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।[49] इस अवसर पर जो प्रक्रिया अपनाई गई वह वैसी ही थी जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है अर्थात् महासचिव ने राज्य-वार और प्रत्येक राज्य के सदस्यों को उनका नाम लेकर बुलाया। उन्होंने अपनी-अपनी पसंद की भाषा में शपथ ली या प्रतिज्ञान किया, सभापति से हाथ मिलाया और सभापति के पटल पर 'सदस्यों की नामावलि' पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कुछ दलों के नेता भी उपस्थित थे। यह पहला अवसर था जब सभापति के कक्ष में सदस्यों ने शपथ ली या प्रतिज्ञान किया। इस अवसर की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाया गया और इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। 18 अप्रैल, 1994 को जब सभा सत्रावकाश के बाद पुन: समवेत हुई तब बाकी नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली या प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

इसके अतिरिक्त, केरल राज्य से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों में पुन: निर्वाचित हुए एक सदस्य ने 5 जुलाई, 1994 को (मध्याह्न-पश्चात् 5 बजे) सभापति के समक्ष प्रतिज्ञान किया।[50] कर्णाटक से राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने पर प्रधान मंत्री श्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा ने 26 सितम्बर, 1996 को (मध्याह्न पूर्व 8.30 बजे) शपथ ली। इन अवसरों पर कुछ सदस्य उपस्थित थे जिन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और प्रत्येक अवसर पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई।[51]

1997 में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से निर्वाचित पांच सदस्यों ने राज्य सभा के सभापति के समक्ष उनके कक्ष में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए। इसी प्रकार नामनिर्देशित सदस्य श्रीमती शबाना आज़मी ने 27 अक्तूबर, 1997 को सभापति के कक्ष में प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।[52]

3 अप्रैल, 2002 को महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों से निर्वाचित तेरह सदस्यों ने सभापति के कक्ष में शपथ ली या प्रतिज्ञान किया तथा उस पर हस्ताक्षर किए।[53] 30 मई, 2002 को

अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से निर्वाचित चार सदस्यों ने सभापति के कक्ष में शपथ ली या प्रतिज्ञान किया तथा उस पर हस्ताक्षर किए।[54]

13 जून, 2002 को झारखण्ड राज्य के एक सदस्य ने सभापति के कक्ष में शपथ ली और हस्ताक्षर किए।[55] इसी राज्य के एक और सदस्य ने भी 8 जुलाई, 2002 को सभापति के कक्ष में शपथ ली और हस्ताक्षर किए।[56]

18 सितम्बर, 2003 को दो नामनिर्देशित सदस्य, श्री दारा सिंह और डा॰ बिमल जालान ने सभापति के समक्ष उनके कक्ष में शपथ ली और हस्ताक्षर किए। दो और नामनिर्देशित सदस्यों, श्री विद्यानिवास मिश्र और श्रीमती हेमा मालिनी ने 16 अक्तूबर, 2003 को दो निर्वाचित सदस्यों, श्रीमती कमला मनहर और श्री वी॰ नारायणसामी के साथ सभापति के समक्ष उनके कक्ष में शपथ ली और उस पर हस्ताक्षर किए। एक नामनिर्देशित सदस्य डा॰ के॰ कस्तूरीरंगन ने सभापति के कक्ष में उनके समक्ष 20 नवंबर, 2003 को शपथ ली और उस पर हस्ताक्षर किए।[56क]

अवसर की गंभीरता

सदस्यों द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना एक गंभीर अवसर है। आशा की जाती है कि सदस्यगण ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस अवसर का गंभीर वातावरण खराब होता हो या उसमें अशांति उत्पन्न होती हो। किन्तु कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब नवनिर्वाचित/नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करते समय सदस्यों ने टिप्पणियां की हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

> जब एक नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेने वाले थे तब एक अन्य सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाते हुए यह पूछा कि ऐसे व्यक्तियों को शपथ लेने की अनुमति कैसे दी जा सकती है जिन्होंने चुनावों में संविधान का उल्लंघन किया है, धन का इस्तेमाल किया है, प्रतिकूल मतदान किया है और रिश्वत दी है। सभापति ने निर्णय दिया कि संबंधित सदस्यों का निर्वाचन विधिवत् अधिसूचित हुआ है और उन्हें शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का हक है। इसके पश्चात् औचित्य प्रश्न उठाने वाले सदस्य ने सभा से बहिर्गमन किया।[57]
>
> एक बार एक ऐसे सदस्य राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने पर शपथ लेने वाले थे जिन्हें उच्च न्यायालय ने विधान सभा के आम चुनावों में भ्रष्ट आचरण के कारण सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया था। इसी समय यह औचित्य प्रश्न उठाया गया कि उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उक्त सदस्य को सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उपसभापति ने औचित्य प्रश्न को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पढ़कर सुनाया:
>
> > ''याची/अपीलार्थी को इस शर्त पर राज्य सभा की सदस्यता की शपथ लेने की अनुमति दी जाती है कि याची/अपीलार्थी केवल सदस्यता के लिए अयोग्य (निरर्हित) होने से बचने के लिए राज्य सभा की कार्यवाही के समय उपस्थित रहेगा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा किंतु वह कार्यवाही या मतदान में भाग नहीं लेगा और कोई वेतन और भत्ता नहीं लेगा...''
>
> इसके पश्चात् सदस्य को शपथ लेने की अनुमति दी गई।[58]
>
> एक बार जब दो सदस्य शपथ लेने वाले थे और एक अन्य सदस्य कुछ कहना चाहते थे तब सभापति ने उसकी अनुमति नहीं दी और आदेश दिया कि सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे अभिलिखित न किया जाए।[59]
>
> एक अन्य अवसर पर जब एक नामनिर्देशित सदस्य शपथ लेने वाले थे तब विपक्ष के नेता ने कुछ टिप्पणियां कीं और अपने दल के सदस्यों के साथ बहिर्गमन किया।[60] एक बार जब एक अन्य सदस्य शपथ लेने ही वाले थे, विपक्ष के नेता ने कुछ टिप्पणियां कीं और इसके बाद वे सदन से उठकर बाहर चले गए।[61]

कुछ अवसरों पर शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही में कुछ सदस्यों ने ऐसी टिप्पणियां करके व्यवधान डाला जो शपथ/प्रतिज्ञान के संबंध में नहीं थीं और इसके कारण शपथ या प्रतिज्ञान में विलंब हुआ। उदाहरण के लिए एक बार इसके पहले कि एक सदस्य को प्रतिज्ञान के लिए बुलाया जा सके, कुछ सदस्यों ने असम में हुई हत्याओं के बारे में मुद्दे उठाए। सभापीठ ने इन हत्याओं पर खेद प्रकट किया, सभा ने मौन धारण किया और उसके बाद ही उक्त सदस्य प्रतिज्ञान कर सके।[62] ऐसे दो अवसर आए जब सभापति ने शपथ या प्रतिज्ञान की कार्यवाही को बीच में रोककर विशेष बॉक्स में बैठे हुए अंतर-संसदीय परिषद् के अध्यक्ष[63] और कनाडा के एक संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों[64] का स्वागत किया।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अनुच्छेद 99
2. शपथ के प्ररूप को संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिससे उसमें अन्य बातों के साथ ''मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा'' शब्द सम्मिलित हुए
3. संसदीय समाचार (1), 13.5.1952
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.4.1956, कालम 1
5. -वही- 6.8.1962, कालम 1–3
6. अनुच्छेद 104
7. धारा 154 और 155
8. संसद्-सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954, धारा 2 (ग) (ख) (i) और (iii) के साथ पठित धारा 3
9. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 16.5.1952, कालम 45-46
10. -वही- 14.7.1952, कालम 991
11. संसदीय समाचार (2), 14.5.1952, 12.2.1954 और 22.5.1996
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1970, कालम 4–15
13. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 14.7.1952, कालम 993; राज्य सभा वाद-विवाद, 22.2.1991, कालम 166–67; 18.5.1976, कालम 81-82; 24.8.1976, कालम 104; और 12.11.1976, कालम 2
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.4.1962, कालम 91
15. -वही- 10.4.1990, कालम 4
16. -वही- 28.2.1977, कालम 3
17. आनंद **बनाम** राम सहाय, ए॰ आई॰ आर॰ 1952, म॰ भा॰ 31
18. नियम 5
19. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.3.1983, कालम 1
20. राज्य सभा वाद-विवाद (काउंसिल ऑफ स्टेट्स), 13.5.1952, कालम 8
21. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1972, कालम 1 और 185
22. -वही- 4.4.1972, कालम 2 और 166; 11.4.1972, कालम 1 और 182
23. -वही- 31.8.1968, कालम 5719
24. -वही- 14.8.1969, कालम 4198
25. -वही- 31.3.1970, कालम 111

26. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1970, कालम 15, 50; और 22.4.1970, कालम 103
27. -वही- 4.4.1970, कालम 68
28. -वही- 14.5.1986, कालम 138
29. -वही- 10.4.1990, कालम 24
30. -वही- 27.8.1993, कालम 544
31. -वही- 22.4.1974, कालम 4–6
32. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वाद-विवाद, 13.5.1952, कालम 2
33. -वही- 19.4.1954, कालम 3303
34. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.4.1968, कालम 1
35. -वही- 17.8.1981, कालम 1–2
36. अनुच्छेद 99 और तीसरी अनुसूची
37. राज्य सभा डिबेट्स, 22.4.1976, कालम 4–6
38. -वही- 18.7.1986, कालम 1
39. -वही- 25.4.1988, कालम 1–9
40. -वही- 17.4.1962, कालम 3
41. हैण्डबुक, 2002 पैरा 4(iv)
42. संसदीय समाचार (2), 9.4.1990
43. काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिबेट्स, 13.5.1952, कालम 1-2
44. नियम 6
45. स्टेट्समैन, नई दिल्ली, 25.8.1993
46. सामान्य प्रयोजन समिति के कार्यवृत्त, 17.3.1994
47. फा॰ सं॰ 6/94-टी
48. संसदीय समाचार (2), 21.3.1994
49. -वही- 4.4.1994
50. -वही- 5.7.1994, फा॰ सं॰ 6/94-टी
51. -वही- 26.9.1996 और फा॰ सं॰ 6/96-टी
52. संसदीय समाचार (2), 15.10.1997 और 27.10.1997
53. -वही- 3.4.2002
54. -वही- 30.5.2002
55. -वही- 13.6.2002
56. -वही- 8.7.2002

56क. फा॰ सं॰ आर॰ एस॰ 6/2003-टी

57. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.4.1968, कालम 1-2
58. -वही- 1.8.1968, कालम 1565–71
59. -वही- 4.8.1986, कालम 1
60. -वही- 29.5.1990, कालम 1-2

61. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.8.1990, कालम 1-2

62. -वही- 21.2.1983, कालम 2

63. -वही- 26.4.1982, कालम 3

64. -वही- 23.4.1984, कालम 2-3